(नियम 26)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी–सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

हरीराम वगैरा बनाम बिरमा देवी आदि

किस्म मुकदमा:–251–क आर.टी.ए. प्रकरण संख्या:–18/2025 (GCMS No. 2025/55)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.09.2025	पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र को दोहराते हुए बताया कि प्रार्थीगण ग्राम नागलियां के स्थाई निवासी है। ग्राम नागलियां के खसरा संख्या 77 में 25.00 बीघा भूमि आबादी हेतु दिनांक 29.12.2014 को आवंटन है। उक्त रकबा में आवागमन हेतु सूरतगढ़ से पदमपुरा लिंक रोड़ से खसरा संख्या 72 (312/72) व खसरा संख्या 76 व खसरा संख्या 77 से होकर उक्त आबादी में आवागमन करते है व उक्त रास्ता मौका पर चालू है। उक्त रास्ता काफी वर्षो से चालू है। इसलिये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम नागलिया के खसरा संख्या 72 में 0.200 हैक्टर व खसरा संख्या 76 में 0.250 हैक्टर व खसरा संख्या 77 में 0.050 हैक्टर गै0मु0 रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया गया। अप्रार्थी संख्या–01 ने जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनके नाम से ग्राम नागलियां के खसरा संख्या 72 में 6.325 हैक्टर दर्ज रिकार्ड में से 0.100 हैक्टर गै0मु0 रास्तादर्ज किया जावे तथा शेष आराजीराज में से दर्ज किया जावे। बहस सुनी गई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थीगण द्वारा आबादी भूमि में पहुंच के लिये रास्ता स्वीकृत करवाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। जबकि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251–क में स्पष्ट प्रावधान है कि कोई अभिधारी अपनी जोत तक पहुचने के लिये आवेदन प्रस्तुत कर सकता है। इसलिये प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया ही विधि से वृजित होने के कारण निरस्त किया जाना हम उचित समझते है। अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण विधि से वृजित होने के कारण निरस्त किया जाता है। पत्रावली नंबर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया। (भरत प्रकाश मीना) I.A.S. उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Bharat Jai Prakash Meena
Date: 2025.09.19 17:18:02 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ़ (राज.)